

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1077]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 21, 2015/वैशाख 31, 1937

No. 1077]

NEW DELHI, THURSDAY, MAY 21, 2015 /VAISAKHA 31, 1937

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय उत्पाद, सीमा शुल्क एवं सेवा कर आयुक्त का कार्यालय)

(कोचिन आयुक्तालय)

अधिसूचना

कोचिन, 29 अप्रैल, 2015

सं. 01/2015 कस (एन.टी.)

का.आ. 1365(अ).—सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 152 के खण्ड (क) के अंतर्गत भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना सं. 33/1994-कस (एन.टी.) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा केरल राज्य एर्णाकुलम जिला के आलुवा पूर्व गाँव, सर्वेक्षण सं. 251/2 को सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 9 के अंतर्गत विकास आयुक्त, कोचिन विशेष आर्थिक क्षेत्र, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 100 प्रतिशत निर्यात आधारित एककों के गठन के सीमित प्रयोजन के लिए भण्डागारण स्टेशन घोषित किया जाता है ।

[फा. सी.सं. VIII/48/08/2015-कस टेक]

एम. मैथ्यू जॉली, आयुक्त

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(Office of the Commissioner of Central Excise, Customs and Service Tax)

(COCHIN COMMISSIONERATE)

NOTIFICATION

Cochin, the 29th April, 2015

No. 01/2015-Customs (NT)

S.O. 1365(E).—In exercise of the powers conferred by Notification No. 33/94 Cus (NT) dated 1st July, 1994, by the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, New Delhi under clause (a), Section 152 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), Sy. No. 251/2 in Aluva East Village of Ernakulam District in Kerala State is hereby declared to be warehousing Station under Section 9 of the Customs Act, 1962 for the limited purpose of setting up a 100% Export Oriented Undertaking as approved by the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone, Department of Commerce, Ministry of Commerce and Industry, Government of India.

[F. C. No. VIII/48/08/2015-Cus Tech]

M. MATHEW JOLLY, Commissioner